



2026:AHC:127106

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 19624/2026

विश्वजीत सिंह उर्फ विश्वजीत तोमर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सत्येन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, मु.अ.सं० 639 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 85, 123, 80(2) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- विजय नगर, जिला- गाजियाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।

3. आवेदक पर आरोप है कि वह मृतका का ससुर है, जो सूचनाकर्ता की बहन थी। उसका विवाह सह-अभियुक्त आकाश तोमर (पति) से दि० 20.04.2022 को हुआ था। तभी से उसे रु. 5 लाख नकद दहेज की अतिरिक्त मांग के कारण समस्त अभियुक्तों द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा। अभियोजन पक्ष का आगे तर्क है कि दि० 24.12.2025 को दहेज की मांग के कारण आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं अन्य सह-अभियुक्त ने मृतका की दहेज हत्या कारित की। पोस्टमार्टम में मृतका के शरीर पर कोई बाह्य चोट नहीं पाई गई तथा रासायनिक परीक्षण हेतु विसरा सुरक्षित रखा गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक सह-अभियुक्ता श्रीमती मंजू देवी सहित मृतका के निवास से अलग निवास करता है। दहेज की मांग संबंधी केवल सामान्य आरोप हैं। मृतका को उसके पति द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सह-अभियुक्ता श्रीमती मंजू देवी को इस न्यायालय द्वारा दि० 27.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० 18583/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। जमानत पर मुक्त होने पर वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

6. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गम्भीरता तथा पक्षकारों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मुझे उचित प्रतीत होता है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. अभियुक्त-आवेदक **विश्वजीत सिंह उर्फ विश्वजीत तोमर**, जो उपरोक्त अपराध प्रकरण संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा जो उस अपराध जैसा हो जिसके लिए उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(iii) आवेदक को यह वचन पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर खुद या अपने वकील के ज़रिए पेश होना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 229-ए (जो बीएनएस की धारा 269 के बराबर है) के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(v) अगर कोई व्यक्ति ट्रायल के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 (जिसके बराबर बीएनएसएस की धारा 84 है) के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर वह व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 174-ए (जिसके बराबर बीएनएस की धारा 209 है) के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सीआरपीसी की धारा 313 (जिसके बराबर बीएनएसएस की धारा 351 है) के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो कोर्ट इस चूक को ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय द्वारा यह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

12 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।